ऑन लाईन नं. **GCMS 2024/152**

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती रीना, आर0ए0एस0

ई0सी0एक्ट प्रकरण सं0 06/2024

राज्य सरकार जरिये श्री कविता, जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर

प्रार्थी

बनाम

1. श्री बॉबी पुत्र श्री जमनादास जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 24, श्रीकरणपुर, फर्म /दुकान रिद्धि रेस्टोरेंट एण्ड फूड, श्रीकरणपरु, श्रीगंगानगर।

अप्रार्थी

प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम , 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा सामग्री 02 घरेलू एलपीजी गैस सिलैण्डर मय 2.5 किलोग्राम गैस को राजसात करने बाबत्।

उपस्थित : जिला रसद अधिकारी, विभागीय प्रतिनिधि

अप्रार्थी अनुपस्थित।

निर्णय दिनांकः 10.01.2025

प्रस्तुत प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 26.09. 2024 को रिद्धि रेस्टोरेण्ट एण्ड फूड , श्रीकरनपुर पर घरेलू गैस सिलेण्डरो का दुरूपयोग किये जाने की शिकातय प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ के अप्रार्थी की दुकान पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच **श्री बॉबी पुत्र श्री जमनादास जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 24, श्रीकरणपुर** मौके पर मिले तथा स्वयं को दुकान का मालिक होना बताया। बॉबी पुत्र श्री जमनादास की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया। दुकान की जांच में पाया कि दुकान मे घरेलू गैंस सिलेण्डरों का उपयोग भोजन आदि बनाने में किया जाता है। मौके पर उक्त दुकान में 02 घरेलू गैंस सिलेण्डर पाये गये। मौके पर पाये गये 02 घरेलू गैंस सिलेण्डर इण्डेन गैंस कम्पनी के है। मौके पर पाये गये 02 घरेलू गैंस सिलेण्डर वजह सबूत जब्त किये गये। मौके पर उक्त सिलेण्डरों के भण्डारण/उपयोग सम्बन्धित कोई वैध दस्तावेज बॉबी पुत्र जमनादास द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री बॉबी पुत्र श्री जमनादास जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 24, श्रीकरणपुर की दुकान पर पाये गये 02 घरेलू गैंस सिलेण्डर, जरिये फर्द जब्ती जप्त किये गये एवं **श्री ओमप्रकाश पुत्र लेखराज उम्र 43 वर्ष जाति अरोड़ा निवासी 45 एफ श्रीकरनपुर गैंस एजेंसी, श्रीकरनपुर** को सुपुर्द किया। जांच के दौरा फर्द निरीक्षण, मौका व जब्ती एवं फर्द सुपुदर्गीनामा अलग से तैयार किया गया। श्री बॉबी पुत्र श्री जमनादास जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 24, श्रीकरणपुर द्वारा अवैध तरीके से घरेलू गैंस सिलेण्डरों का दुरूपयोग किया जा रहा था। श्री बॉबी पुत्र श्री जमनादास जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 24, श्रीकरणपुर द्वारा घरेलू एलपीजी गैंस सिलेण्डर का दुरूपयोग कर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBURION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1)(ख)(ग, 4(1)(ग)(2) व 7 (1)(ग) का स्पष्ट उल्लघंन किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि मौके से जब्त 02 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 2.5 किलोग्राम गैस को राजसात करने का आदेश फरमावें।

परिवाद प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

अप्रार्थी तारीख पेशी पर स्वयं उपस्थित नहीं। अप्रार्थी के नोटिस की तामील स्वयं से होने के बावजूद तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं है।

राजकीय पैरोकार की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

राजकीय पैरोकार ने अपने बहस में व्यक्त किया है कि दिनांक 26.09.2024 को रिद्धि रेस्टोरेण्ट एण्ड फूड , श्रीकरनपुर पर घरेलू गैस सिलेण्डरो का दुरूपयोग किये जाने की शिकातय प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ के अप्रार्थी की दुकान पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच **श्री बॉबी पुत्र श्री जमनादास जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 24, श्रीकरणपुर** मौके पर मिले तथा स्वयं को दुकान का मालिक होना बताया। बॉबी पुत्र श्री जमनादास की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया। दुकान की जांच में पाया कि दुकान में घरेलू गैंस सिलेण्डरों का उपयोग भोजन आदि बनाने में किया जाता है। मौके पर उक्त दुकान में 02 घरेलू गैंस सिलेण्डर पाये गये। मौके पर पाये गये 02 घरेलू गैंस सिलेण्डर इण्डेन गैंस कम्पनी के है। मौके पर पाये गये 02 घरेलू गैंस सिलेण्डर वजह सबूत जब्त किये गये। मौके पर उक्त सिलेण्डरों के भण्डारण/उपयोग सम्बन्धित कोई वैध दस्तावेज बॉबी पुत्र जमनादास द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री बॉबी पुत्र श्री जमनादास जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 24, श्रीकरणपुर की दुकान पर पाये गये 02 घरेलू गैंस सिलेण्डर, जरिये फर्द जब्ती जप्त किये गये एवं **श्री ओमप्रकाश पुत्र लेखराज उम्र 43 वर्ष जाति अरोड़ा निवासी 45 एफ श्रीकरनपुर गैंस एजेंसी, श्रीकरनपुर** को सुपुर्द किया। जांच के दौरा फर्द निरीक्षण, मौका व जब्ती एवं फर्द सुपुदर्गीनामा अलग से तैयार किया गया। श्री बॉबी पुत्र श्री जमनादास जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 24, श्रीकरणपुर द्वारा अवैध तरीके से घरेलू गैंस सिलेण्डरों का दुरूपयोग किया जा रहा था। श्री बॉबी पुत्र श्री जमनादास जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 24, श्रीकरणपुर द्वारा घरेलू एलपीजी गैंस सिलेण्डर का दुरूपयोग कर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBURION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1)(ख)(ग, 4(1)(ग)(2) व 7 (1)(ग) का स्पष्ट उल्लघंन किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के तहत मौके से जब्त 2 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 2.5 किलोग्राम गैस को राजसात किया जाए।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि दिनांक 26.09.2024 को रिद्धि रेस्टोरेण्ट एण्ड फूड , श्रीकरनपुर पर घरेलू गैस सिलेण्डरो का दुरूपयोग किये जाने की शिकातय प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ के अप्रार्थी की दुकान पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच **श्री बॉबी पुत्र श्री जमनादास जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 24, श्रीकरणपुर** मौके पर मिले तथा स्वयं को दुकान का मालिक होना बताया। बॉबी पुत्र श्री जमनादास की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया। दुकान की जांच में पाया कि दुकान में घरेलू गैंस सिलेण्डरों का उपयोग भोजन आदि बनाने में किया जाता है। मौके पर उक्त दुकान में 02 घरेलू गैंस सिलेण्डर पाये गये। मौके पर पाये गये 02 घरेलू गैंस सिलेण्डर इण्डेन गैंस कम्पनी के है। मौके पर पाये गये 02 घरेलू गैंस सिलेण्डर वजह सबूत जब्त किये गये। मौके पर उक्त सिलेण्डरों के भण्डारण/उपयोग सम्बन्धित कोई वैध दस्तावेज बॉबी पुत्र जमनादास द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री बॉबी पुत्र श्री जमनादास जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 24, श्रीकरणपुर की दुकान पर पाये गये 02 घरेलू गैंस सिलेण्डर, जरिये फर्द जब्ती जप्त किये गये एवं **श्री ओमप्रकाश**

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

पुत्र लेखराज उम्र 43 वर्ष जाति अरोड़ा निवासी 45 एफ श्रीकरनपुर गैंस एजेंसी, श्रीकरनपुर को सुपुर्द किया। जांच के दौरा फर्द निरीक्षण, मौका व जब्ती एवं फर्द सुपुदर्गीनामा अलग से तैयार किया गया। श्री बॉबी पुत्र श्री जमनादास जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 24, श्रीकरणपुर द्वारा अवैध तरीके से घरेलू गैंस सिलेण्डरों का दुरूपयोग किया जा रहा था। श्री बॉबी पुत्र श्री जमनादास जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 24, श्रीकरणपुर द्वारा घरेलू एलपीजी गैंस सिलेण्डर का दुरूपयोग कर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBURION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1)(ख)(ग, 4(1)(ग)(2) व 7 (1)(ग) का स्पष्ट उल्लघंन किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत मौके से जब्त **2 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 2.5 किलोग्राम गैस को राजसात किया जाता है।** आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रीना)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
(प्रशासन), श्रीगंगानगर

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)